

**न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल**  
**(पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)**

व्य.वाद. क्रमांक:- 46ए/16

संस्थापन दिनांक:-12/03/15

फाईलिंग नं. 233504000562015

1. भगौतीबाई पति बालकिशन  
उम्र 70 वर्ष, निवासी देहलवाड़ा,  
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
2. मोहन पिता बालकिशन, उम्र 50 वर्ष
3. लज्जाबाई पति बिसन, उम्र 48 वर्ष
4. अंगद पिता बालकिशन, उम्र 45 वर्ष  
सभी निवासी तरोडाकला,  
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)

..... वादीगण

**वि रु द्ध**

1. शिवदयाल पिता छोटे, उम्र 50 वर्ष
2. कुवरलाल उर्फ धुम्मा पिता छोटे, उम्र 45 वर्ष
3. राजू पिता बाबूलाल, उम्र 47 वर्ष
4. रामकिशोर पिता बाबूलाल, उम्र 42 वर्ष
5. शिव पिता बाबूलाल, उम्र 42 वर्ष
6. पवन उर्फ गना पिता शिवदयाल  
सभी निवासी ग्राम देहलवाड़ा,  
तहसील आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
7. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा कलेक्टर  
जिला बैतूल (म.प्र.)

..... प्रतिवादीगण

**—: ( निर्णय ) :—**

**(आज दिनांक 27.09.2016 को घोषित)**

1 वादी द्वारा यह दावा ख.नं. 118/1, 119/1, 119/3, 119/5, 119/7, 179 क्रमशः नवीन ख.नं. 289, 283, 286, 287, 202 स्थित ग्राम देहलवाड़ा तहसील मुलताई जिला बैतूल के स्वत्व, घोषणा तथा विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 जो कि उपर्युक्त भूमि के संबंध में निष्पादित किया गया है, उसे शून्य घोषित कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त भूमियों को प्रकरण में आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जायेगा।

2 प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी व प्रतिवादी एक ही खानदान के हैं।

3 वादी द्वारा प्रस्तुत दावा संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम देहलवाड़ा स्थित विवादित भूमि वादी भगौती के पिता भूता की मृत्यु उपरांत उसके नाम पर आयी थी। वादी जब 15 वर्ष की थी तब वादी के बड़े पिता बारीक के द्वारा अपने पुत्रों रंगीलाल व छोटे के नाम पर विवादित भूमि का विक्रय पत्र वादी भगौती का संरक्षक बनकर निष्पादित करा दिया गया तथा उक्त जानकारी वर्ष 2014 तक उससे छिपा कर रखी गयी। वादी बचपन से विवादित भूमि पर काबिज रही तथा संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में कृषि कार्य करती रही एवं अनाज प्राप्त करती रही। विवादित भूमि वादी को उसके पिता भूता से प्राप्त हुई थी जो उसके मायके पक्ष की है तथा वादी हमेशा से ही अपने मायके ग्राम देहलवाड़ा में ही रही। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को दावा प्रस्तुत करने के लगभग दो माह पूर्व यह कहकर भगा दिया कि विवादित भूमि उसके द्वारा बचपन में ही रंगीलाल व छोटे को विक्रय कर दी गयी थी। इसके बाद वादी के पुत्र मोहन के द्वारा दस्तावेज प्राप्त किये गये तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि विवादित भूमि का विक्रय बारीक के द्वारा वादी भगौती के वली संरक्षक बनकर अपने पुत्रों रंगीलाल व छोटे के नाम पर करा लिया गया है। विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 शून्य है क्योंकि वह उसकी अवयस्क अवस्था में निष्पादित किया गया। साथ ही उसे कोई प्रतिफल भी नहीं दिया गया। इस कारण से भी विक्रय पत्र शून्य है। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि पर अपना नाम उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करा लिया है। जबकि वह उसके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है। अतः वादी द्वारा दावा विवादित भूमि पर उसके स्वत्व की घोषणा व विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 को शून्य घोषित कराये जाने की सहायता चाही गयी है।

4 प्रतिवादीगण द्वारा लिखित में जवाबदावा पेश कर उसमें यह लेख किया गया कि वादी द्वारा वादपत्र में असत्य व अस्पष्ट अभिवचन किये गये हैं तथा वादी द्वारा यह दावा परिसीमा अवधि से बाधित है। वादी द्वारा जिस कथित विक्रय पत्र के आधार पर दावा लाया गया है उस विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने के लिए दावा उसके वयस्क होने के तीन वर्ष के भीतर लाना चाहिए था। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा अवधि बाह्य होने के कारण तथा वाद पत्र पर उचित मूल्यांकन न किये जाने तथा पक्षकारों का असंयोजन व कुसंयोजन होने के कारण निरस्त किया जावे।

5 वाद के उचित न्यायपूर्ण निराकरण हेतु पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी और साक्ष्य विवेचना उपरांत उनके समक्ष मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

क्र.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरुष नान्हो थे जिनके दो पुत्र भूता तथा बारीक थे ?	
2.	क्या भूता की एक मात्र पुत्री भगौतीबाई है ?	

3.	क्या वादीगण की कृषि भूमि ग्राम देहलवाड़ा तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित भूमि पुराना ख.नं. 118/1 नया ख.नं. 289 रकबा 15.45/6.252, पुराना ख.नं. 119/1, 119/3 नया ख.नं. 283 रकबा 1.58/0.640, पुराना ख.नं. 119/5 नया ख.नं. 284 रकबा 0.22/0.089, पुराना ख.नं. 119/7 नया ख.नं. 287 रकबा 1.00/0.405 पुराना ख.नं. 179 नया ख.नं. 202 रकबा 0.50/0.202 भूमि का हक व स्वामित्व की है?	
4.	क्या वादिनी भगौती नाबालिक हक व स्वत्व की भूमि को बारीक को अपने पुत्रगण को विवादित भूमि का विक्रय करने का अधिकार था ?	
5.	क्या विवादित भूमि का किया गया विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 फर्जी कूट रचित होकर शून्य घोषित किया जावे?	
6.	क्या वादी का वाद समय अवधि में प्रस्तुत किया गया है ?	
7.	क्या वादपत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन का दोष है ?	
8.	क्या वादीगण द्वारा उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क चर्खा किया गया है ?	
9.	सहायता एवं वाद व्यय ?	

### विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

#### वाद प्रश्न क. 01, 02 व 03 का निराकरण

6 वादी भगौती द्वारा अपने पिता का नाम भूता होने का अभिवचन वाद पत्र में किया गया है। वादी भगौती (वा.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 08 में प्रतिवादी अधिवक्ता के सुझाव पर स्वतः में यह बताया है कि उसके दादा का नाम भूता तथा बारीक के पिता का नाम नान्हो है तथा वह एक बाप की अकेली औलाद

है। यद्यपि वादी भगौती (वा.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 08 में स्वतः में यह बताया है कि उसके दादा का नाम भूता है। इस संबंध में वादी अधिवक्ता के द्वारा तर्क के दौरान यह बताया गया कि वादी अपने पिता को बब्बा कहकर संबोधित करती थी इसलिए वादी उक्त प्रश्न पर भ्रमित हो जाने के कारण अपने पिता की जगह दादा का नाम भूता होना बताया है। तर्क के परिप्रेक्ष्य में अधिकार अभिलेख (प्रदर्श प्री-9) के अवलोकन से वादी भगौती के पिता का नाम भूता होना प्रकट हो रहा है। स्पष्टतः वादी भगौती के पिता का नाम भूता है। वादी भगौती (वा.सा.-1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बारीक का नाम नान्हो होना बताया है। यद्यपि प्रतिवादीगण ने वादी द्वारा बताये गये वंशवृक्ष को अपूर्ण होना बताते हुए अस्वीकार किया है परंतु इस संबंध में प्रतिवादीगण ने कोई चुनौती नहीं दी है और न ही वादी भगौती के भूता की एकमात्र संतान/पुत्री होने के संबंध में कोई चुनौती दी गयी है जिससे यह प्रमाणित पाया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मूल पुरुष नान्हो थे जिनके दो पुत्र भूता व बारीक थे तथा वादी भगौती भूता की एकमात्र संतान है।

7 वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा क्र. 1 में विवादित भूमि को पैतृक होना बताते हुए विवादित भूमि वादी भगौती को अपने पिता भूता से प्राप्त होने का अभिवचन किया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 09 में उक्त साक्षी ने विवादित जमीन के नंबर व रकबा न बता पाना बताया है। इसी पैरा में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया कि उसकी जो भी जमीन है वह पटवारी रिकार्ड में दर्ज है। साथ ही इसी पैरा में साक्षी ने प्रतिवादीगण के नाम जमीन होने की जानकारी पिछले 50 वर्षों से होना तथा उनके नाम की जमीन पर पिछले 50 वर्षों से प्रतिवादीगण के द्वारा खेती करना बताया है। पैरा क्र. 14 में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया कि प्रतिवादीगण की जमीन के बंटवारे पिछले 20-30 वर्ष पहले हो गये हैं। स्वतः में साक्षी ने यह बताया कि उनकी जमीन अलग है व उसकी जमीन अलग है।

8 वादी साक्षी मनोहर (वा.सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में यह सही होना बताया कि पिछले 50 वर्ष से प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर कब्जा है। साथ ही इसी पैरा में यह सही होना बताया कि लगभग 25 वर्षों से वादी भगौती का ग्राम देहलवाड़ा की विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। उपर्युक्त साक्षी की आयु शपथ पत्र में 35 वर्ष लेख है। साक्षी ने साक्ष्य दिनांक से पिछले 50 वर्ष तक की जानकारी विवादित भूमि पर कब्जा के संबंध में किस आधार पर दी यह उसकी मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः ऐसी दशा में उक्त साक्षी की साक्ष्य से विवादित भूमि पर वादी या प्रतिवादी के कब्जे के संबंध में कोई उपधारणा की जाना उचित नहीं होगा।

9 वादी साक्षी नारायण (वा.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में यह बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि भगौती या उसके बच्चे का ग्राम देहलवाड़ा स्थित विवादित भूमि पर कब्जा है अथवा नहीं। स्वतः में साक्षी ने यह बताया कि वादी भगौती ग्राम देहलवाड़ा में शिवदयाल के साथ रहती थी। साक्षी ने इसी पैरा में यह स्वीकार किया कि पटवारी रिकार्ड में वादी भगौती का विवादित भूमि

पर नाम नहीं है। वादी साक्षी मोहन (वा.सा.-4) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 13 में यह बताया है कि पटवारी रिकार्ड में जिस जमीन पर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हैं उन पर उनका ही कब्जा है। वादी साक्षी बिसन (वा.सा.-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में यह सही होना बताया है कि प्रतिवादीगण ने या उनके पिता न विवादित जमीन कब और किससे खरीदी उसे इस बात की जानकारी नहीं है। यह भी सही होना बताया है कि प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम पर विवादित जमीन पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा उस पर उन्हीं का कब्जा भी चला आ रहा है। पैरा क. 06 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि भगौतीबाई का कोई घर देहलवाड़ा में है या नहीं।

10 वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 (प्रदर्श प्री-1) में लेख विवादित भूमियां की स्वत्व घोषणा चाही गयी है। विवादित भूमियां वादी भगौती के स्वत्व/कब्जा की होने के संबंध में अधिकार अभिलेख वर्ष 1949-50 (प्रदर्श पी-9) प्रस्तुत किया गया है जिसमें विवादित आराजी पर कब्जेदार के रूप में वादी भगौती वल्द भूता नाबालिग संरक्षक बारीक का नाम लेख है परंतु भूमि स्वामी के रूप में सुखराम का नाम लेख है। जिसे वादी द्वारा प्रस्तुत वंशवृक्ष में कहीं भी दर्शित नहीं किया गया है। वादी द्वारा विवादित भूमि पैतृक होने का अभिवचन किया गया है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1949-50 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि वादी भगौती के पिता का नाम भूता है परंतु वादी के पिता भूता के नाम पर विवादित भूमि होने के संबंध में कोई भी कागजात वादी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तत्पश्चात वादी के पिता भूता के नाम की संपत्ति उसकी पुत्री वादी भगौती के नाम पर आने के संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः ऐसी दशा में विवादित भूमि वादी के स्वत्व की नहीं मानी जा सकती है। साथ ही वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि विवादित भूमि वादी को उसके पिता व दादा से प्राप्त हुई हो तथा ऐसे कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह दर्शित हो कि विवादित भूमि वादी के पिता के नाम हो, तत्पश्चात उसकी मृत्यु उपरांत वादी भगौती के नाम आयी हो। इस तरह से वादी के द्वारा विवादित भूमि पर स्वयं के स्वत्व के स्रोत के संबंध में न कोई अभिवचन किये गये हैं और न ही दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

11 अधिकार अभिलेख वर्ष 1949-50 (प्रदर्श प्री-9) में विवादित भूमि पर कब्जेदार के रूप में वादी का नाम लेख होने मात्र के आधार पर विवादित भूमि पर उसका स्वत्व नहीं माना जा सकता है। वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 (प्रदर्श प्री-2) के अवलोकन से विवादित भूमि के नये नंबर निर्मित होना एवं वह भूमि स्वामी स्वत्व पर रंगीलाल व छोटे के नाम से दर्ज होना प्रकट हो रही है। खसरा पांचसाला वर्ष 2006-07 से 2009-10 के अवलोकन से काबिजदार के रूप में गुलब पिता रंगीलाल व शिवदयाल पिता बिसराम का नाम लेख है। संशोधन पंजी वर्ष 2006-07 से विवादित भूमि का गुलब व शिवदयाल के बीच विभाजन होना तथा संशोधन पंजी वर्ष 2008-09 के अवलोकन से गुलब को बंटवारे में प्राप्त विवादित भूमि उसके वारसानों के नाम होना

दर्शित हो रहा है तथा किशतबंदी खतौनी वर्ष 2014-15 जो कि 8 पृष्ठों में है उसके अवलोकन से विवादित भूमि के बटा नंबर पर पृथक-पृथक प्रतिवादीगण के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट हो रहा है। इस प्रकार वादी के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित हो कि विवादित भूमि पर वर्ष 1949-50 से अधिकार अभिलेख के पश्चात कभी वादी का विवादित भूमि पर कब्जा रहा हो। जबकि उसके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वर्ष 1971-72 से निरंतर प्रतिवादीगण का विवादित भूमि पर स्वत्व व कब्जा होना दर्शित हो रहा है।

12 प्रतिवादीगण के द्वारा किसी भी साक्षी को परिक्षीत न कराकर मात्र दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2006 (प्रदर्श डी-1), विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2005 (प्रदर्श डी-2), विक्रय पत्र दिनांक 09.08.1995 (प्रदर्श डी-3), विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2012 (प्रदर्श डी-4), विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2012 (प्रदर्श डी-5), विक्रय पत्र दिनांक 19.05.1960 (प्रदर्श डी-6), विक्रय पत्र दिनांक 19.05.1980 (प्रदर्श डी-7), विक्रय पत्र दिनांक 13.11.2009 (प्रदर्श डी-8) प्रस्तुत किया है जिनके अवलोकन से विवादित भूमि के जुज रकबे का विक्रय प्रतिवादीगण द्वारा अन्य व्यक्तियों को किया जाना दर्शित हो रहा है।

13 स्वत्व घोषणा संबंधी दावे में यदि वादी द्वारा अपने स्वत्व को प्रमाणित करने संबंधी साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं मात्र राजस्व अभिलेख में इंद्राज से वादी के स्वत्व की उपधारणा नहीं की जा सकती। वादी को अपने स्वत्व का आधार स्रोत दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **पन्नालाल विरुद्ध भवानीराम 1982 एम.पी.डब्ल्यू.एन. 360** अवलोकनीय है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि स्वत्व घोषणा के मामलों में वादी पर अपना मामला सिद्ध करने का भार होता है और वह प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वयं वादी साक्षियों के कथनों से विवादित भूमि पर वादी भगौती का आधिपत्य प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतः विवादित भूमि पर न तो वादी भगौती का आधिपत्य माना जा सकता है और न ही उसका स्वत्व माना जा सकता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 1 "हां", वाद प्रश्न क्र. 2 "हां" व वाद प्रश्न क्र. 3 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किये जाते हैं।

#### **वाद प्रश्न क्र. 04 व 05 का निराकरण**

14 वादी का अभिवचन है कि उसके नाबालिग अवस्था में उसके पिता के भाई बारीक के द्वारा विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 वादी का संरक्षक बनकर अपने पुत्र रंगीलाल व छोटे के पक्ष में निष्पादित करा दिया गया। विवादित भूमि उसके स्वत्व की है तथा उसके पिता भूता से प्राप्त हुई थी। **वादी अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि** चूंकि विक्रय पत्र निष्पादित किये जाते समय वादी भगौती की उम्र 15 वर्ष थी। अतः अवयस्क से की गयी संविदा शून्य होने के कारण विक्रय पत्र शून्य है।

15 तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि अवयस्क द्वारा की गयी संविदा प्रारंभ से शून्य होती है तथा साथ ही अवयस्क के संरक्षा द्वारा उसकी संपत्ति का अंतरण किये जाने से पूर्व हिंदू अवयस्क एवं संरक्षता अधिनियम की धारा 4 के अनुसार न्यायालय से अनुमति ली जानी आवश्यक होती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **"Rajaram Vs.**

**Mohila bolto devi 1999 R.N. 208(H.C.)** अवलोकनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि **"No guardian can Transfer property of minor without permission of Court."**। साथ ही जो दस्तावेज प्रारंभ से शून्य होते हैं उन्हें शून्य घोषित कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **प्रेमसिंह एवं अन्य विरुद्ध बीरबल एवं अन्य 2006(5) एस.सी.सी. 353** अवलोकनीय है, परंतु प्रकरण में वादी ने विक्रय पत्र (प्रदर्श प्री-1) दिनांकित 08.12.1959 में उल्लेखित विवादित आराजी का स्वत्व वाद प्रश्न क्र. 03 के निष्कर्ष अनुसार प्रमाणित करने में असफल रही है। तब ऐसी दशा में वाद प्रश्न क्र. 03 के निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि वादी भगौती के हक व स्वत्व की भूमि को उसके पिता के भाई बारीक को विक्रय करने का अधिकार नहीं था एवं विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 शून्य है।

#### वाद प्रश्न क्र. 06 का निराकरण

16 वादी द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि उसके अवयस्क अवस्था में उसके 15 वर्ष की उम्र में विवादित भूमि का विक्रय उसके चचेरे भाई बारीक ने उसका संरक्षक बनकर अपने पुत्र रंगीलाल व छोटे के नाम करा दिया था। विक्रय पत्र की उसे जानकारी नहीं थी। दिनांक 13.10.2014 को जब उसके पुत्र मोहन ने विवादित भूमि के दस्तावेज निकाले तो उसे उपर्युक्त तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई। प्रतिवादीगण ने यह अभिवचन किया कि जिस विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 को शून्य घोषित कराये जाने के लिए दावा प्रस्तुत किया गया है उस विक्रय पत्र के निष्पादन के 56 वर्ष बाद यह दावा प्रस्तुत किया गया है जो कि परिसीमा से बाहर है।

17 वादी भगौतीबाई (वा.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में यह प्रकट किया कि उसके स्वत्व की विवादित भूमि का विक्रय बारीक के द्वारा संरक्षक बनकर कर दिये जाने की जानकारी उसे दावा प्रस्तुत करने तक नहीं थी। उसे जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई उसके द्वारा दावा प्रस्तुत कर दिया गया। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 09 में उक्त साक्षी ने यह सही होना बताया कि प्रतिवादीगण के नाम पर जमीन होने की जानकारी उसे पिछले 50 वर्ष से है। स्वतः में साक्षी ने यह कहा कि उसकी जमीन अलग है। साक्षी ने यह भी सही बताया कि उसने पिछले 50 वर्षों में कोई केस नहीं लगाया है। स्वतः में साक्षी ने कहा कि एक कुड़ो गेहूं मांगने गयी तो उसे नहीं दिया।

18 साक्षी भगौती (वा.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 13 में विवादित भूमि के जुज रकबों का विक्रय किये जाने के संबंध में इस सुझाव को सही बताया कि रंगीलाल ने हीरावती को जमीन बेची थी। स्वतः में साक्षी ने कहा कि रंगीलाल ने बाड़ी बेची थी। साक्षी ने यह भी सही बताया कि बिसराम ने विवादित भूमि ख.नं. 285 में से जुज रकबा तुलाराम को बेचा स्वतः में साक्षी ने कहा कि बिसराम ने अपनी जमीन बेची थी। उक्त साक्षी को विवादित भूमि का प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय किये जाने की जानकारी प्रारंभ से होना स्पष्टतः दर्शित हो रहा है। वादी द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि उसके नाबालिग अवस्था में उसके स्वत्व की विवादित भूमि का विक्रय पत्र संरक्षक बनकर उसके पिता के भाई बारीक के द्वारा करा लिया गया था। ऐसी दशा में वादी वयस्कता प्राप्त करने के तीन वर्ष के भीतर दावा ला सकती थी। यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा दस्तावेज को शून्य घोषित कराने की पृथक से आवश्यकता नहीं है। स्वत्व घोषणा हेतु सीधे दावा लाया जा सकता है। वादी द्वारा विक्रय संव्यवहार की जानकारी वर्ष 2014 में होना बताया गया है परंतु स्वयं वादी भगौती ने यह स्वीकार किया कि उसे प्रतिवादीगण के नाम जमीन होने की जानकारी पिछले 50 वर्ष से है। साथ ही साक्षी ने विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कुछ विक्रयों की जानकारी होना स्वीकार किया है। तब ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता कि उसे विवादित भूमियों के प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज होने की जानकारी नहीं थी। वाद कारण दिनांक से तीन वर्ष के भीतर वादी द्वारा स्वत्व, घोषणा हेतु दावा लाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में वाद कारण वर्ष 2014 से नहीं माना जा सकता। अतः यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि दावा समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार वाद प्रश्न क्र. 06 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

### **वाद प्रश्न क्र. 07 का निराकरण**

19 वादीगण ने यह अभिवचन किया है कि उसकी नाबालिग अवस्था में विवादित भूमि का विक्रय उसके पिता के भाई बारीक द्वारा अपने पुत्र रंगीलाल व छोटे को कर दिया गया था। चूंकि वाद प्रस्तुति के समय बारीक एवं उसके दोनों पुत्र रंगीलाल व छोटे की मृत्यु हो चुकी थी तथा रंगीलाल की एकमात्र पुत्री गुलब की भी मृत्यु हो चुकी थी, जो कि वंशावली से भी दर्शित है। प्रतिवादीगण का यह अभिवचन कि प्रतिवादी क्र. 02 कुवरलाल पिता छोटे, प्रतिवादी क्र. 03 राजू पिता बाबूलाल, प्रतिवादी क्र. 04 रामकिशोर पिता बाबूलाल को गलत तरीके से पक्षकार बनाया गया है। वादी के द्वारा विवादित भूमि उसके पिता के भाई बारीक द्वारा उसका वली संरक्षक बनकर अपने पुत्रों रंगीलाल व छोटे को किये जाने का अभिवचन है। वाद प्रस्तुति के समय उनके जीवित न होने के कारण उनके पुत्र तथा पुत्री प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्र. 02, 03 व 04 का कुसंयोजन नहीं माना जा सकता है। वादी के द्वारा बारीक के पुत्र रंगीलाल व छोटे के संतानों के साथ-साथ रंगीलाल की पुत्री गुलब की मृत्यु हो जाने के कारण उसके संतानों को भी पक्षकार बनाया गया है। अतः ऐसी दशा में विक्रय पत्र दिनांकित 08.12.1959 के पक्षकारों के समस्त वारसानों को वादीगण द्वारा पक्षकार बनाया गया है जो कि



आवश्यक पक्षकार हैं। अतः ऐसी दशा में प्रकरण में पक्षकारों का असंयोजन भी नहीं माना जा सकता है। निष्कर्षतः वाद प्रश्न क. 07 "नहीं" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

### वाद प्रश्न क. 08 का निराकरण

20 वादी ने वादपत्र में स्वत्व, घोषणा हेतु 500/- रुपये तथा विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने के लिए 500/- रुपये तथा आधिपत्य की पुष्टि के लिये 452.20/- रुपये तथा विक्रय पत्र का मूल्यांकन 600/- रुपये करते हुए उसका 12 प्रतिशत 72/- रुपये कुल न्यायालय शुल्क 1524.20/- रुपये अदा किये जाने का अभिवचन किया है। प्रतिवादीगण ने अपने लिखित कथन में वादी द्वारा किये गये मूल्यांकन को अति अल्प बताया है। वादी द्वारा उसकी नाबालिग अवस्था में किये गये विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराये जाने हेतु वाद लाया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जो दस्तावेज शून्य होते हैं उन्हें निरस्त कराने हेतु पृथक् से कोई अनुतोष की ईप्सा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वादी मात्र अपने स्वत्व की द घोषणा करा सकता है। अतः घोषणा हेतु निश्चित शुल्क ही देय होगा, जो कि वादी के द्वारा अदा किया गया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **दुपरीबाई विरुद्ध मनकीबाई 1981(1)एम.पी.डब्ल्यू.एन. 63** अवलोकनीय है। अतः वादी द्वारा वादपत्र का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया गया है। तदनुसार वाद प्रश्न क. 08 "हां" के रूप में निष्कर्षित किया जाता है।

### वाद प्रश्न क. 09 का निराकरण

21 वादी द्वारा विवादित भूमि जो कि विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 में उल्लेखित है, वह उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की है, ऐसा प्रमाणित नहीं किया जा सका है। साथ ही उपर्युक्तानुसार की गयी विवेचना से यह दर्शित हो रहा है कि वादी को स्वयं ही यह नहीं पता कि वह किस भूमि को अपने स्वत्व की होना बता रही है। क्योंकि विक्रय पत्र प्रदर्श पी-1 में जिन भूमियों का उल्लेख है, वह प्रतिवादीगण के नाम पर है तथा वादी स्वयं यह स्वीकार करती है कि उसे यह जानकारी है कि प्रतिवादीगण की जमीन उनके नाम पर है और वह उस पर काबिज भी है तथा वादी का यह कहना है कि उसकी जमीन प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज जमीन से अलग है, जबकि दावा विक्रय पत्र प्रदर्श पी-1 में उल्लेखित विवादित भूमियों के स्वत्व, घोषणा हेतु लाया गया है और वहीं भूमियां प्रतिवादीगण के नाम पर है। उपर्युक्त विवेचना अनुसार वादी विवादित भूमि पर अपने स्वत्व को प्रमाणित करने में असफल रही है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 08.12.1959 को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। साथ ही दावा परिसीमा अवधि से बाधित भी पाया गया है। फलस्वरूप वाद निरस्त किया जाता है और निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है :-

1. वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
2. प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
3. अधिवक्ता शुल्क म.प्र. सिविल कोर्ट नियम एवं आदेश 179 सहपठित नियम 523 के निर्धारित होता है अथवा जो प्रमाणित हो या न्यून हो खर्चे में जोड़ा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
आमला, जिला बैतूल

(श्रीमती मीना शाह)  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
आमला, जिला बैतूल